छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 2–4/2008/1–सूअप्र, रायपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2008

प्रति,

शासन के समस्त
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों के रूप में पदनामित अधिकारियों को दिशा–निर्देश ।**

संदर्भः– भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशान मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क. 4/9/2008–आईआर, दिनांक 24.06.2008.

––00––

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुक्रम में भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क. 4/9/2008–आईआर, दिनांक 24.06.2008 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

2/ कृपया अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों/आयोग/निगम/मंडलों/संगठनों/संस्थाओं आदि को उक्त पत्र की छायाप्रति भेजकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

(व्ही.के.राय)
जन सूचना अधिकारी
छत्तीसगढ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

10/7/08

पृ. क्र. एफ 2–4/2008/1–सूअप्र, रायपुर, दिनांक जुलाई, 2008

प्रतिलिपिः– निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क. 4/9/2008–आईआर, दिनांक 24.06.2008 के संबंध में सूचनार्थ ।

जन सूचना अधिकारी
छत्तीसगढ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
पंजी. क्रमांक 96
दिनांक 05.07.08

No. 2027 /CS/08/GOI
Date 2 JUL 2008

No. 4/9/2008-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
******

North Block, New Delhi
Dated the 24th June, 2008

1 JUL 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Courteous behavior with the persons seeking information under the RTI Act, 2005.

*****

4 JUL 2008

The Central Information Commission has brought to the notice of this Department that officers of some of the public authorities do not behave properly with the persons who seek information under the RTI Act. The undersigned is directed to say that the responsibility of a public authority and its public information officers (PIO) is not confined to furnish [redacted] information but also to provide necessary help to the information seeker, wherever necessary. While providing information or rendering help to a person, it is important to be courteous to the information seeker and to respect his dignity.

2. Many organizations/training institutions are conducting training programmes on the Right to Information Act. The public authorities should ensure that their PIOs and other concerned officers are exposed to such training programmes. The public authorities may also organize training programmes at their own level. While imparting such training, the officers should be sensitized about the need of courteous behaviour with the information seekers.

3. The Commission has also expressed concern over the fact that many public authorities have not published relevant information under section 4 of the Act. All the public authorities should ensure that they make suo motu disclosure as provided in the Act without any further delay. It is a statutory requirement, which should not be compromised with.

.....2/-

- 86 -

4. All Ministries/Departments etc. are requested to bring the contents of this OM to the notice of all concerned and ensure compliance thereof.

(K.G. Verma)
Director

To

1. All the Ministries / Departments of the Government of India.

2. Union Public Service Commission/ Lok Sabha Sectt./ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission/ Election Commission.
3. Central Information Commission/ State Information Commissions.
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi.
5 O/o the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. All officers/Desks/Sections, DOP&T and Department of Pension & Pensioners Welfare.

Copy to: JS(Training), DOPT

With the request to issue necessary instructions to all the training institutes conducting training programmes on the Right to Information to the effect that the programme should have a component on sensitizing the officers about the need of courteous behaviour with the information seekers.

Copy also to:

Chief Secretaries of all the States/UTs.

संख्या : 4/9/2008-आई.आर.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001.
दिनांक : 24 जून, 2008.

कार्यालय आदेश

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना माँगने वाले व्यक्तियों के साथ भद्रता का व्यवहार ।

केन्द्रीय सूचना आयोग ने इस विभाग को सूचित किया है कि कुछ लोक प्राधिकरणों के अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं । अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी लोक प्राधिकरण और उसके लोक सूचना अधिकारियों का उत्तरदायित्व मांगी गई सूचना प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है । उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे सूचना मांगने वाले व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करें । किसी व्यक्ति को सूचना या सहायता प्रदान करते समय उसके साथ भद्र व्यवहार किया जाना चाहिए और उसकी प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाना चाहिए ।

2. अनेक संगठन/प्रशिक्षण संस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं । लोक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके लोक सूचना अधिकारी तथा अन्य अधिकारी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लें । लोक प्राधिकरण भी अपने स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं । इस प्रकार के प्रशिक्षणों में अधिकारियों को सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के साथ भद्र व्यवहार करने के महत्व को रेखांकित किया जाना चाहिए ।

3. आयोग ने इस तथ्य पर भी चिंता जताई है कि कई लोक प्राधिकरणों ने अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत संगत जानकारी प्रकाशित नहीं की है । सभी लोक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार सूचना का स्वत: प्रकटन अब बिना किसी विलंब के हो जाए । यह एक कानूनी आवश्यकता है, जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए ।

..........2/.......

-88-

4. सभी मंत्रालयों/विभागों इत्यादि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की अन्तर्वस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं और उसका अनुपालन सुनिश्चित करें ।

(के. जी. वर्मा)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री का कार्यालय/योजना आयोग/निर्वाचन आयोग ।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग ।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
6. सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग ।

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि सूचना का अधिकार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सभी प्रशिक्षण संस्थानों को इस आशय के अनुदेश जारी किए जाएं कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के साथ भद्रता का व्यवहार करने संबंधी सामग्री भी प्रशिक्षण के एक संघटक के रूप में सम्मिलित की जाए ।

प्रतिलिपि : सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।